NGT द्वारा उत्तराखंड को वहन क्षमता की ज़िम्मेदारी का खुलासा करने का आदेश

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal- NGT) ने **उत्तराखंड के पर्यावरण विभाग** से दुर्घटना की स्थिति में **ज़िम्मेदारी का खुलासा** करने को कहा है, क्योंकि उत्तराखंड में **चार धाम** यात्रा के लिये तीर्थयात्रियों की संख्या सीमित करने के लिये कोई वहन क्षमता नहीं है।

मुख्य बिंदु:

- न्यायाधिकरण के अनुसार, **बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री** के मार्गों पर **तीर्थयात्रियों के लिये कोई वहन क्षमता निर्धारित नहीं है** तथा उन मार्गों पर **तीर्थयात्रियों की संख्या के संबंध में कोई प्रतिबंध** नहीं है।
- **राज्य सरकार के वकील** के अनुसार, **चारों तीर्थ स्थलों की वहन क्षमता के बारे में रिपोर्ट प्राप्त करने में एक वर्ष का समय** लगेगा।
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के अनुसार, **तीर्थयात्रियों की अनियंत्रित संख्या के कारण दुर्घटना हो सकती है** और किसी को इसकी ज़िम्मेदारी लेनी होगी।

??? ??? ??????

- **यमुनोत्री धाम:**
  - **स्थान:** उत्तरकाशी ज़िला।
  - **समर्पित:** देवी यमुना।
  - गंगा नदी के बाद यमुना नदी भारत की दूसरी सबसे पवित्र नदी है।
- **गंगोत्री धाम:**
  - **स्थान:** उत्तरकाशी ज़िला।
  - **समर्पित:** देवी गंगा।
  - सभी भारतीय नदियों में सबसे पवित्र मानी जाती है।
- **केदारनाथ धाम:**
  - **स्थान:** रुद्रप्रयाग ज़िला।
  - **समर्पित:** भगवान शिव।
  - मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है।
  - भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों (भगवान शिव के दिव्य प्रतिनिधित्व) में से एक।
- **बद्रीनाथ धाम:**
  - **स्थान:** चमोली ज़िला।
  - पवित्र बद्रीनारायण मंदिर का घर।
  - **समर्पित:** भगवान विष्णु।
  - वैष्णवों के पवित्र तीर्थस्थलों में से एक

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/ngt-to-uttarakhand-disclose-carrying-capacity-responsibility